न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21 / 17 (2017 / 00042) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—पारसीदेवी पत्नि भोजाराम गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमलादेवी पत्नि जमनालाल गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मीनादेवी पत्नि प्रकाश गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गंगादेवी पत्नि तुलछीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मोतीसिह पिता किशनसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी मृतक के बजाय
2 / 1—पप्पुसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2 / 2—पुरणसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2 / 3—धनसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2 / 4—केलाकवंर पुत्री मोतीसिंह पत्नि कमलेशसिंह राजपुत निवासी कारोई त0 व जि0 भीलवाड़ा
2 / 5—दरीयावकवंर पुत्री मोतीसिंह पत्नि गोविन्दसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर
3—कालुसिह पिता किशनसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी मृतक के बजाय
3 / 1—निर्भयसिंह पिता कालुसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3 / 2—अन्तरकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि घीसुसिंह राजपुत निवासी माताजीकाबाड़िया त0 रायपुर
3 / 3—पारसकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि राजुसिंह राजपुत निवासी चावण्डिया त0 माण्डल
3 / 4—सुरजकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि राजुसिंह राजपुत निवासी भींटा तहसील रायपुर
3 / 5—संताकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि छोटुसिंह राजपुत निवासी भींटा तहसील रायपुर
4—गोर्वधनसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा
6—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी शंकरदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा
7—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी रणुदास पिता श्यामदास बैरागी नाबाबे संरक्षक दादी गीतादेवी पत्नि रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी उगमा पुत्री श्यामदास बैरागी नाबाबे संरक्षक दादी गीतादेवी पत्नि रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी रामगणी पुत्री श्यामदास पत्नि उदेराम बैरागी नि0 नारायणखेड़ा हाल गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी मांगी पुत्री श्यामदास पत्नि उदेराम बैरागी नि0 नारायणखेड़ा हाल गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तेज्याखेड़ी पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी [illegible] व विपक्षीगण 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 13:17:32 IST
Reason: SelfAttested

लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 423 रकबा 0.51 है0, आराजी संख्या 424 रकबा 0.51 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 तक प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता तेज्याखेड़ी से नारायणखेड़ा की मुख्य सड़क से दक्षिण में स्थित विपक्षी संख्या 1 की बिलानाम आराजी संख्या 427 में होकर आगे विपक्षी संख्या 2 की खातेदारी आराजी संख्या 428 की पश्चिम पाली पर होकर आगे विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 3 की पाली पर होकर आगे विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की आराजी संख्या 429 गैमु आराजी चाह की पश्चिमी पाली पर होकर आगे विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी की आराजी संख्या 425 मैमु आराजी चाह रकबा 0.10 है0 पूर्वी पाली होकर स्थित रास्ते से उपलब्ध है। इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण उनकी आराजी संख्या 423 में घुसते है फिर उनकी अन्य आराजियात में जाते है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 की आराजियात में स्थित उक्त वर्णित रास्ता जो आगे ग्राम तेज्याखेड़ी का स्थित श्मशान की आराजी संख्या 1012/186 पर जाता है यानि उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण उनके खेतो में जाते रहे है। तथा ग्रामवासीयो के लिये श्मशान का रास्ता भी यही है। उक्त रास्ता मौके पर 12 फीट चौड़ाई में मौजुद है परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। विपक्षी मोतीसिंह व उनके पुत्रो ने इस रास्ते को छड़िया डालकर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण के खेतो में एवं श्मशान में जाना भी दुभर हो गया। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने व ग्रामवासियो को श्मशान तक आवागमन करने का अन्य कोई रास्ता मौजुद नही है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्व आदेश इस आशय का फरमाया जावे कि ग्राम तेज्याखेड़ी के बैरून हल्के आबादी स्थित प्रार्थीगण की आराजियात संख्या 423 व 424 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता तेज्याखेड़ी से नारायणखेड़ा की मुख्य सड़क से दक्षिण में स्थित विपक्षी संख्या 1 की बिलानाम आराजी संख्या 427 में होकर आगे आराजी संख्या 428, 430, 429 की पश्चिमी पाली पर होकर आगे आराजी संख्या 425 की पूर्वी पाली पर होकर 12 फीट चौड़ाई में स्थित है तथा राजस्व नक्शे में जो डोट डोट से दर्शित है। को राजस्व रेकार्ड की जमाबदियों में किस्म रास्ता दर्ज किया जावे व रास्ते को विपक्षीगण उक्तानुसार अकिंत चौड़ाई में सदैव खुला रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 03.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी सख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 5 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 फोरमल पक्षकार होने से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की और जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में कृषि आराजियात में विपक्षी संख्या 2 से 4 का कोई लेना देना नही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में जाने हेतु 2 रास्ते मोके पर उपलब्ध है जिसको बन्द कर रखा है तथा नाजायज रूप से विपक्षी की भूमि में रास्ता कायम कराना चाहते है। श्मशान की भूमि व प्रार्थीगण की भूमि अलग अलग दिशा में स्थित है। श्मशान किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए जाते है जिनसे कोई आपत्ति नही होना दर्शाते हुए विपक्षीगण की आराजी में आवागमन का जो डोटेट रास्ता अकिंत किया गया है जो विपक्षीगण की अन्य आराजियात में आवागमन के लिये है। प्रार्थीगण की आराजियात में जाने हेतु 2 रास्ते बने हुए जिसमें होकर आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजियात में न तो कभी रास्ता था ओर न है। विपक्षीगण द्वारा गांव वालो को कभी भी श्मशान भूमि में जाने हेतु नही रोका गया श्मशान भूमि ओर प्रार्थीगण की भूमि अलग अलग दिशा में है प्रार्थीगण श्मशान भूमि में जाने के रास्ते का आधार लेकर हमारी भूमि पर नाजायज रूप से रास्ता कायम कराना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा इस आराजी नम्बर 423, 424 में रास्ता चा... उक्त प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

2012, 2015, 2016 में क्रय की गई और इसके साथ आराजी नम्बर 404, 405, 411 भी क्रय की गई है प्रार्थीगण द्वारा 100 वर्षो से आवागमन की बात की जो झुठे तथ्य बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के ससुर के नाम की खातेदारी आ0स0 398, 399, 415, 416, 417 बिलानाम सड़क आराजी संख्या 367 से लगी हुई है जिससे होकर प्रार्थीगण आगे उनकी आराजी 414 मे प्रवेश हो आगे इनके परिवार की आराजी संख्या 413 में प्रवेश हो विपक्षी संख्या 5 की आराजी में प्रवेश हो अपनी आ0स0 404, 405, 411, 423, 424 में आवागमन करते है। इसके अलावा भी प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में जाने हेतु नारायणखेड़ा से आने वाले बिलानाम रास्ते आ0स0 408 से होकर अपनी आराजी संख्या 409, 410, 406 में होकर अपनी आराजियात में आवागमन करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यव खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम तेज्याखेड़ी की वादीगण की आराजी संख्या 423, 424 में पहुँचने हेतु प्रतिवादीगण की आ0न0 428, 430/1, 430/2, 425 में डोटेड रास्ता बता रखा है। परन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। मौके पर विवादित रास्ता आ0न0 428 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर लोहे की फाटक लगा रखी है एवं आ0न0 425 में लोहे की तारबन्दी द्वारा बन्द है। मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी पर 02 किलोमीटर दुर नारायणखेड़ा होकर श्मशान के रास्ते की तरफ के खेतो से फसल काश्त की जा रही है। प्रस्तावित विवादित रास्ते में ग्राम तेज्याखेड़ी के प्रतिवादीगणो की आराजी नम्बर 428 रकबा 0.57 है0 किस्म चाही मे से 272 वर्गमीटर आ0न0 430/1 रकबा 0.41 है0 मे से 144 वर्गमीटर, आ0न0 430/2 रकबा 0.15 है0 मे से 80 वर्गमीटर एवं आराजी नम्बर 425 रकबा 0.10 है0 गैमु आचा मे से 224 वर्गमीटर भूमि आती है। कुल 720 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु आती है जिसकी डीएलसी दर 58365/– रूपये प्रति बीघा से 19450 रूपये बनती है जिसका दुगुना करने पर 38900 रूपये कीमत बनती जो प्रतिवादी को भुगतान की जानी है। वादीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर वैकल्पिक सुलभ रास्ता उपलब्ध नही है प्रस्तावित व विवादित रास्ते से ही ग्राम तेज्याखेड़ी के मृत व्यक्तियो को ग्राम नारायणखेड़ा की सीमा में स्थित श्मशान में भी ले जाये जाते है। इस रिपोर्ट पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करने पर पुनः मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें अंकन किया कि प्रस्तावित रास्ता नम्बर 1 जो आराजी नम्बर 398, 414, 413, 412 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में पहुँच सकता है जिसमें आराजी संख्या 398 व 414 प्रार्थीया के ससुर के संयुक्त खातेदारी है और आराजी सख्यां 413 लादु हीरा वगैरा की खातेदारी है। आराजी संख्या 412 चारभुजा स्थान देह के नाम दर्ज है जो इसमें आवश्यक पक्षकार है। आराजी संख्या 413 के खातेदार पक्षकार नही है। इसके अलावा रास्ता नम्बर 2 जो खसरा नम्बर 367 से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 368, 370, 371, 372, 485/373 जिसमें आराजी नम्बर 372 बिलानाम है शेष सभी खातेदारी भूमिया है उसके आगे खसरा नम्बर 392 जो राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है जिसमें आराजी नम्बर 374 व 390 का आशिंक भाग रास्ते में आता है। रास्ता नम्बर 3 जो खसरा नम्बर 427 में होकर 428 व 430/1, 430/2 की पश्चिमी मेड़ पर होकर जा रहा है। जिससे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि तेज्याखेड़ी के समस्त ग्रामवासी उक्त प्रस्तावित रास्ते से होकर ही मृतक आदमियो का दाह संस्कार करने जाते है श्मशान नारायणखेड़ा की सीमा में स्थित है। पूर्व में भी विपक्षी संख्या 1 के द्वारा अन्तर्गत धारा 251 के तहत् इसी रास्ते में आवागमन हेतु आदेश पारित किया गया जिसके प्रकरण 04/16 होकर निर्णय दिनांक 02.11.2016 है और विपक्षी मोतीसिह, पूर्णसिंह और धनसिंह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के न्यायालय में अपील पेश की गई थी जो दिनांक 31.10.2017 को खारीज करते हुए तहसीलदार रायपुर का निर्णय विधि अनुकूल होने से बहाल रखा गया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 13:17:32 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता जायज है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से बहस में निवेदन किया कि डोटेड रास्ता आराजी नम्बर 427 मे नही है विपक्षी की खातेदारी में जो डोटेड रास्ता दर्शा रखा है उस रास्ते विपक्षी अपनी खतेदारी भूमि में आते जाते है श्मशान का भी कोई रास्ता नही है किन्तु दाह संस्कार के लिए आवागमन से हमें कोई आपत्ति नही है जबकि प्रार्थीगण के द्वारा मात्र आराजी नम्बर 423 में जाने हेतु निवेदन किया जबकि प्रार्थीगण इसके साथ आराजी नम्बर 404, 405, 411, 423, 424 के भी खातेदार है प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्य पेश किये गये है बिलानाम आराजी नम्बर 367 का रास्ता के पास ही प्रार्थीगणो के ससुर की आराजी संख्या 398, 399, 414, 415, 416 स्थित है उसमें होता हुआ आराजी नम्बर 413 एवं 412 की मेड़ से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में जा सकते है। प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर विपक्षी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विस्तृत लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में अकिंत किया कि नया रास्ता कायम करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बाते आवश्यक है (1.) रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक होनी चाहिए न की सुविधा के लिए। (2.) वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना चाहिए। इस प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अपनी सुविधा के लिए नया रास्ता विपक्षीगण की आराजी में करना चाहते है जो उचित नही है। इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016—17 (सप्ल.) पेज 677, डीएनजे 2019 पेज 263, आरआरटी 2019 (2) पेज 1543 जिसमें स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने तथा अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता नही होने पर रास्ता नही दिया जा सकता है। उपरोक्त दृष्टान्त अनुसार प्रकरण खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत दोनो रिपोर्ट एवं प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु जो रास्ता चाहा गया है जो खसरा नम्बर 427 आबादी भूमि में होकर चाहा गया है जिससे उक्त रास्ते की लम्बाई 280 मीटर है तथा खसरा नम्बर 427 आबादी भूमि होने से ग्राम पंचायत को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। आबादी भूमि मे किसी प्रकार का आदेश इस न्यायालय के अधिकार क्षैत्र से बहार है। इसके साथ ही प्रार्थीगणो के ससुर की जो संयुक्त खातेदारी भूमि है वो मूल सरकारी रास्ते 367 से 405 में पहुॅचने हेतु 260 मीटर की दुरी है। जिसमे मात्र खसरा नम्बर 413 अन्य खातेदार का है जिसको पक्षकार संयोजित नही किया गया है बाकि सभी आराजियात प्रार्थीया के ससुर की संयुक्त खातेदारी है और खसरा नम्बर 412 जो चारभुजा स्थान देह के नाम से है जिनको पहले से ही पक्षकार संयोजित कर रखा है। प्रार्थीगणो द्वारा अपने ससुरजी की संयुक्त खातेदारी में रास्ता नही चाहकर अन्य पड़ौसी खातेदार की भूमि से रास्ता चाहा गया है जो उचित नही है जबकि खसरा नम्बर 399 और 414 के खातेदार खसरा नम्बर 400 के कुएं तक पहुॅच रहे है जो रास्ता बना हुआ है इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में रास्ता नही चाहकर अन्य पड़ौसी से रास्ता चाहा गया है। जहां तक श्मशान भूमि में जाने का रास्ता दर्शाया गया है वो खसरा नम्बर 430 और 428 के खातेदार अपनी भूमि में आते जाते है और इसी सीध में आगे श्मशान है जिसे जाने में खातेदारान को कोई आपत्ति नही है। मात्र प्रार्थीगण के आवेदन से आपत्ति है प्रार्थीगण द्वारा 2016 में भूमि क्रय की गई है तभी से उनके ससुर की भूमि से आवागमन करना बताया गया है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 4/16 अन्तर्गत धारा 251 निर्णय दिनांक 02.11.2016 में दाह संस्कार के लिए श्मशान में जाने हेतु ग्राम वासियान के आवेदन पर आदेश जारी किया गया है और आदेश की अपील विपक्षी द्वारा करने पर भी न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2017 से तहसीलदार का आदेश 02.11.2016 को बहाल रखा गया है जो सार्वजनिक श्मशान भूमि में मृतक व्यक्ति के दाह संस्कार करने तक उक्त आदेश प्रभावी है जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

बदस्तुर रहेगा। इस आदेश की पालना में विपक्षी राजस्व रेकार्ड में रास्ता अपने स्वयं के लिए दर्ज कराने का अधिकारी नही है।

जहां तक मै सोचता हुँ कि अपने संयुक्त परिवार की भूमि अगर पास में स्थित हो तो उसी में होकर आवागमन किया जाना चाहिए ना कि पड़ौसी खातेदार की इस प्रकरण में भूमि प्रार्थीगणो के परिवार की संयुक्त खातेदारी स्थित है उसमें रास्ता नही चाहकर अन्य की भूमि में रास्ता चाहा जा रहा है। प्रार्थीगण क्लीन हेन्डस से न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दृष्टान्त इस पर चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेकार्ड एवं मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रायपुर के प्रकरण 04/2016 निर्णय दिनांक 02.11.2016 एवं न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण 04/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2017 को आधार बना कर अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जो उचित नही है। उक्त निर्णय श्मशान भूमि मे मृतक व्यक्ति के दाह संस्कार तक सिमित है जो आदेश वर्तमान में प्रभावी है, उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण, विपक्षीगण की आराजी में रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थीगण के ससुर के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि पास स्थित जिसमे आवागमन हो रहा है जिससे अपने परिवार की भूमि मे रास्ता नही चाहकर अन्य भूमि से रास्ता चाहा गया है जो स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.09.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21/17 (2017/00042) प्रार्थना पत्र
1—पारसीदेवी पत्नि भोजाराम गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमलादेवी पत्नि जमनालाल गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मीनादेवी पत्नि प्रकाश गाडरी निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गंगादेवी पत्नि तुलछीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—मोतीसिह पिता किशनसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी मृतक के बजाय
2/1—पप्पुसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2/2—पुरणसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2/3—धनसिंह पिता मोतीसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2/4—केलाकवंर पुत्री मोतीसिंह पत्नि कमलेशसिंह राजपुत निवासी कारोई त0 व जि0 भीलवाड़ा
2/5—दरीयावकवंर पुत्री मोतीसिंह पत्नि गोविन्दसिंह राजपुत निवासी खुटिया तहसील रायपुर
3—कालुसिह पिता किशनसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी मृतक के बजाय
3/1—निर्भयसिंह पिता कालुसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3/2—अन्तरकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि घीसुसिंह राजपुत निवासी माताजीकाबाड़िया त0 रायपुर
3/3—पारसकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि राजुसिंह राजपुत निवासी चावण्डिया त0 माण्डल
3/4—सुरजकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि राजुसिंह राजपुत निवासी भींटा तहसील रायपुर
3/5—संतोकंवर पुत्री कालुसिंह पत्नि छोटुसिंह राजपुत निवासी भींटा तहसील रायपुर
4—गोर्वधनसिंह पिता रामसिंह राजपुत निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा
6—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी शंकरदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा
7—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी रणुदास पिता श्यामदास बैरागी नाबाबे संरक्षक दादी गीतादेवी पत्नि रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी उगमा पुत्री श्यामदास बैरागी नाबाबे संरक्षक दादी गीतादेवी पत्नि रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी रामगणी पुत्री श्यामदास पत्नि उदेराम बैरागी नि0 नारायणखेड़ा हाल गलवा
10—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी मांगी पुत्री श्यामदास पत्नि उदेराम बैरागी नि0 नारायणखेड़ा हाल गलवा
11—चारभुजा स्थान देह जरिये पुजारी बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास बैरागी नि0 नारायणखेड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट
प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रायपुर के प्रकरण 04/2016 निर्णय दिनांक 02.11.2016 एवं न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण 04/2017 निर्णय दिनांक 31.10.2017 को आधार बना कर अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जो उचित नही है। उक्त निर्णय श्मशान भूमि मे मृतक व्यक्ति के दाह संस्कार तक सिमित है जो आदेश वर्तमान में प्रभावी है, उक्त आदेश की पालना में प्रार्थीगण, विपक्षीगण की आराजी में रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थीगण के ससुर के नाम संयुक्त खातेदारी भूमि पास स्थित जिसमे आवागमन हो रहा है जिससे अपने परिवार की भूमि मे रास्ता नही चाहकर अन्य भूमि से रास्ता चाहा गया है जो स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए अस्वीकार किया जाता है।

हुक्मनामा आज दिनांक 24.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

24.09.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested